nt>

12.03 hrs.

MATTERS UNDER RULE 377 *

MR. SPEAKER: I think, the House agrees that the matters under Rule 377 listed for the day may be treated as laid on the Table of the House.

...(*Interruptions*)

Title: Need to re-define Manjhi (Manjhwar) Caste in view of its various sub-castes in Madhya Pradesh for inclusion in list of Scheduled Tribes.- Laid.

डॉ.लक्ष्मीनारायण पाण्डेय (मंदसौर) : महोदय, मध्य प्रदेश शासन द्वारा मांझी जाति को संविधान में संशोधन करते हुए अनुसूचित जनजाति में सम्मिलित किया गया है, किन्तु मांझी जाति के अन्तर्गत कौन-कौन परिभाति हैं, यह स्पट न होने से कठिनाई बनी हुई है। क्योंकि कुछ स्थानों पर मांझी को मल्लाह, धीवर, कहार, केवट, भोई, धीमर, तुरहा, कीर आदि नामों से जाना जाता है। कहीं-कहीं इसकी उप-जातियां कश्यप, निााध, रायकवार, बाथम आदि हैं। ये सभी एक ही समुदाय की ही जातियां हैं, लेकिन प्रदेश के भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में रहने के कारण विभिन्न नामों से पुकारी जाती हैं। केन्द्र सरकार से इस हेतु निवेदन किया गया है कि मांझी (मझवार) को स्पट रूप से परिभाति किया जाये। प्रदेश शासन के ट्राइबल रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट द्वारा मांझी मिन्स वोट्स मैन व फेरी मैन के रूप में परिभाति किया गया है, किन्तु ये परिभााा संपूर्ण मांझी समाज के हित की रक्षा करने वाली नहीं है।

अतः भारत सरकार से अनुरोध है कि मध्य प्रदेश राज्य की सामाजिक एवं शिक्षात्मक दृटि से पिछड़े वर्ग की जो सूची घोति की गई है, उसके क्रमांक 12 के अन्तर्गत उप जाति समूह में ढीमर, भोई, कहार, धीवर, मल्लाह, नावडा, तुरहा, केवट (कश्यप, निााद, रायकवार, बाथम) कीर, ब्रितिया, वृतिया, सिंगरहा, आलारी, सेंधिया को पिछड़े वर्ग से विलोपित कर अनुसूचित जाति में सम्मिलित कर न्याय प्रदान करने का कट करें।

*** Treated as laid on the Table.**